



झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची
JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL, RANCHI

**सत्र 2015-17 की इंटरमीडिएट परीक्षा में सम्मिलित होने वाले
नियमित छात्र-छात्राओं के पंजीयन के संबंध में आवश्यक सूचना।**

विज्ञापित संख्या - 67/2016

एतद् द्वारा विज्ञापित संख्या 43/2016 के क्रम में सभी अंगीभूत/डिग्री संबद्ध/इंटर प्रस्वीकृत महाविद्यालय/+2 विद्यालय/कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय/सत्र 2015-17 के लिए स्थापना अनुज्ञा(अनुमति) प्राप्त इंटर महाविद्यालय के प्राचार्यों, छात्र/छात्राओं एवं उनके अभिभावकों को सूचित किया जाता है कि वैसे छात्र/छात्राओं, जो **पंजीयन-सह-अनुमति प्रपत्र** निर्धारित अवधि में जमा नहीं कर सके थे, को एक विशेष अवसर प्रदान करते हुए **पंजीयन-सह-अनुमति प्रपत्र** परिषद् कार्यालय, राँची, परिषद् के क्षेत्रीय कार्यालय, दुमका तथा परिषद् के प्रमण्डलीय कार्यालय, मेदिनीनगर में जमा करने की तिथि निम्न प्रकार निर्धारित की जाती है:-

जिला का नाम	पंजीयन-सह-अनुमति प्रपत्र परिषद् कार्यालय में जमा करने की तिथि
दुमका, देवघर, पलामू, लोहरदगा, खुंटी, कोडरमा, सरायकेला, पश्चिमी सिंहभूम	26.10.2016
साहेबगंज, पाकुड़, गढ़वा, राँची, रामगढ़, चतरा, पूर्वी सिंहभूम, गुमला	27.10.2016
गोड्डा, जामताड़ा, लातेहार, हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, सिमडेगा	28.10.2016

विज्ञापित संख्या 43/2016 में निर्धारित विलम्ब शुल्क के अतिरिक्त विशेष शुल्क रूपये 1000/- प्रति छात्र/छात्रा देय होगा।

सभी विहित शुल्क बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जमा होगा, जो "JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL FUND" के नाम से बनाया जाएगा। ध्यातव्य कि बैंक ड्राफ्ट बनाते वक्त इस बात की पूरी सावधानी बरती जाए कि नाम में कोई भी अशुद्धि न हो।

- * बैंक ड्राफ्ट राँची कार्यालय में जमा करने हेतु राँची में भुगतय होगा, संथाल परगना प्रमण्डल के लिए दुमका में भुगतय होगा एवं पलामू प्रमण्डल के लिए डाल्टेनगंज में भुगतय होगा।
- * नगद भुगतान अथवा डाक द्वारा भेजा गया पंजीयन आवेदन प्रपत्र किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं होगा।

नोट:- **विज्ञापित संख्या 43/2016 में निर्धारित शेष शर्तें यथावत् रहेगी।**

अध्यक्ष के आदेश से,

ह./-

(रजनीकांत वर्मा)

सचिव,

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची।

JAC/विज्ञापित/4290/SECY/370/16

Dt. 14.10.2016

D.O.P : 15.10.2016